फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

ग्रा.५.

काश्तान बनाम बाबूलाल

केस संख्या : 20/25

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
	25-2-26	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप./ अनुपस्थित के कारण कमीशन जारी नहीं किया जा सके वास्ते कमीशन दिनांक 16/3/2026 को पेश हो (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	16-3-26	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप./ अप्रार्थी उप. की बहस सुनी गई प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजों को देखा गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धान्तों को देखा गया। तीनों सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होते हैं या प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण का काउंटर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिनांक 6/3/2025 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली केस [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या– 20/2025

नानूराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी प्रतापपुरा खुर्द तहसील जालसू जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र मंगल जाति जाट निवासी प्रतापपुरा खुर्द तहसील जालसू जिला जयपुर।
2. रतन लाल पुत्र रामकुवार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पुनाना तहसील जालसू जिला जयपुर।
3. श्रवण लाल पुत्र मोलक जाति जाट निवासी प्रतापपुरा खुर्द तहसील जालसू जिला जयपुर।
4. नाथू पुत्र गोमा जाति जाट (मृतक)

4/1 बाबू पुत्र नाथू

4/2 रामसिंह पुत्र नाथू

4/3 सत्यनारायण पुत्र नाथू

4/4 लिछमण पुत्र नाथू

4/5 विष्णु पुत्र नाथू

5. नाना देवी पत्नी नाथू जाति जाट
6. दयाल पुत्र कालूराम
7. बिरदा पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी प्रतापपुरा खुर्द तहसील जालसू जिला जयपुर।
8. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू जिला जयपुर।
9. उपपंजीयक कार्यालय जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

<u>अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र</u>
<u>अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय दिनांक 16.03.2026

हस्तगत प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है 1. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी नानूराम ने ग्राम प्रतापपुरा खुर्द, तहसील जालसू स्थित खाता संख्या 61 (पुराना 58) की [illegible] खसरा नंबरान (104, 105, 106, 23, 25/421) कुल रकबा 1.9000 हेक्टेयर भूमि के [illegible] यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । प्रार्थी का कथन है कि वह इस भूमि में 1/4 हिस्से का सह–खातेदार है और वर्तमान में मौके पर भूमि का कोई विधिक विभाजन नहीं हुआ है । प्रार्थी का आरोप है कि अप्रार्थी संख्या 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर बिना विभाजन के भूमि पर कॉलोनी विकसित करने और निर्माण करने पर आमादा है, जिससे प्रार्थी के अधिकारों का हनन हो रहा है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4/1 से 4/5, 5 व 6 ने जवाब व काउंटर टी.आई. पेश कर प्रार्थी के दावों को नकारा है । उनका तर्क है कि उक्त भूमि का पूर्व में ही 'बाहमी बंटवारा' हो चुका है और सभी पक्ष अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं । अप्रार्थी संख्या 2 का कहना है कि खसरा नंबर 105 व 23 उसके हिस्से में आए थे, जिसे उसने 'कांवट आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति' को सुपुर्द कर दिया था, जहाँ अब 'राधे वाटिका' नामक कॉलोनी में 100 से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं । अप्रार्थीगण ने काउंटर क्लेम के माध्यम से प्रार्थी को उनके शांतिपूर्ण उपभोग में बाधा डालने से रोकने की मांग की है ।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो सिद्धांतो को देखा गया

1. प्रथम दृष्टया केस (Prima Facie Case): राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि अभी भी 'शामलाती' प्रतीत होती है, हालांकि मौके पर पक्षकारों का अलग–अलग कब्जा बताया गया है । प्रार्थी का सह–खातेदार होना निर्विवाद है ।
2. सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience): चूंकि पक्षकारों के बीच विभाजन को लेकर विवाद है और एक पक्ष द्वारा कृषि भूमि पर गैर–कृषि गतिविधियां (कॉलोनी काटना) करने की बात कही गई है, अतः अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखना न्यायोचित है ।
3. अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss): यदि विवादित भूमि का स्वरूप बिना विधिक विभाजन के बदल दिया जाता है या उसे तृतीय पक्ष को हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो इससे भविष्य में होने वाले बंटवारे की प्रक्रिया जटिल हो जाएगी और प्रार्थी को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति धन से संभव नहीं है ।

::आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण का काउंटर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिनांक 06.03.2025 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:38:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर